तत्काल / महत्वपूर्ण

संख्या–1036/9–9–14–247ज/05

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2014

विषयः–12वें एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अप्रयुक्त/अवशेष पडी धनराशि के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1024/9–9–14–247ज/05, दिनांक 13.08.14 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 12वें एवं 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निकायों को स्वीकृत धनराशि में से जिन निकायों द्वारा उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उनके खाते में अप्रयुक्त/अवशेष पडी हुई धनराशि ब्याज सहित राज्य सरकार के सुसंगत प्राप्त शीर्ष में तत्काल जमा कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को एक पक्ष में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 12वें एवं 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निकायों को स्वीकृत धनराशि में से, जिन निकायों द्वारा उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, उनके खाते में अप्रयुक्त/अवशेष पडी हुई धनराशि ब्याज सहित राज्य सरकार के अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक में जमा कराना सुनिश्चित करें। जहां तक 12वें एवं 13वें वित्त आयोग की धनराशि का अलग–अलग उल्लेख किये जाने का प्रश्न है, तो धनराशि राजकोष में जमा किये जाने हेतु अलग–अलग भरे जाने वाले चालान फार्म में दिये जाने वाले विवरण में इसका उल्लेख किया जाना होगाः–

"0217	–	शहरी विकास –
60	–	अन्य शहरी विकास योजनायें –
800	–	अन्य प्रतियॉ –
01	–	प्रकीर्ण प्रतियॉ"

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-y

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0)

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।